राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या 111/2023

अनिरूद्ध सिंह भाटी —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, कृषि विभाग, जयपुर।
2. आयुक्त, कृषि विभाग, पंत कृषि भवन, जनपथ, सी—स्कीम,जयपुर।
3. उप निदेशक, (कृषि) विस्तार, जालौर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.07.2022
आदेश की दिनांक : 22.04.2024

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री स्वयं अपीलार्थी श्री अनिरूद्ध सिंह भाटी
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. अपील में अपीलार्थी के विरूद्ध नियम—16 राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम—1958 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही आदेश दिनांक 03.04.1998 के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की गई। आगे अपीलार्थी का कथन है कि निदेशक कृषि विभाग, जयपुर के द्वारा आदेश दिनांक 20.04.1999 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी को दण्डित किया गया, जिसमें अपीलार्थी की 2 वर्षीय वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया था। साथ ही प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 21.09.2005 (अनुलग्नक—2) एवं आदेश दिनांक 17.04.2012 (अनुलग्नक—4) को अपास्त किए जाने हेतु चुनौती दी है। उक्त दण्डादेशों को अपीलार्थी ने इस अपील में चुनौती दी है। साथ ही अपीलार्थी दण्डादेश अपास्त किए जाने के उपरान्त वेतन का पुनर्निधारण कर पारिणामिक व सेवा निवृत्ति लाभ दिए जाने की प्रार्थना की है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 2 (एफ) में सेवा मामलों को परिभाषित किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से शास्ती आदेश को सेवा मामलों से पृथक् रखा गया है। इस प्रकार इस अधिकरण के समक्ष शास्ती आदेशों को चुनौती नहीं दी जा सकती।
3. अतः यह अपील इस अधिकरण के समक्ष पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य